

**समाहरणालय, दरभंगा ।**  
**(जिला भू-अर्जन शाखा)**

**प्रारंभिक अधिसूचना**

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

सख्या-914/भू-अ0,

दिनांक 31/10/16


चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हाटी चादर नं0-1, थाना-बिरौल, थाना नं0-297, अंचल-बिरौल, जिला-दरभंगा में कुल-0.555 एकड़ यानि 0.224 हे0 भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना गंडौल (सहरसा) से हाटी कोठी (बिरौल) तक पथ एवं पुल निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा निम्न है :- यह परियोजना लोक प्रयोजनार्थ है। इसके निमित्त भू-अर्जन करने का सामाजिक मूल्य कम है तथा सामाजिक लाभ ज्यादा है। भू-अर्जन के कारण कुल .....X..... परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम हाटी चादर नं0-1, थाना-बिरौल, थाना नं0-297, अंचल-बिरौल, जिला-दरभंगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कर्मावेश 0.555 एकड़ यानि 0.224 हेक्टेयर मानक माप का भू-खंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं०	खाता सं०	सर्व भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	82	22	रैयती	भीठ-2	0.24	जर्नादन सिंह वो शत्रोहन सिंह, पिता-हवेली सिंह दो अंश वो विजय कुमार सिंह वो सुरेश कुमार सिंह वो मिथिलेश कुमार सिंह, पिता-रामनन्दन सिंह एक अंश	राज कुमार सिंह	सड़क		
2	424	15	रैयती	भीठ-2	0.08	सियाराम उर्फ बाबू पंडित, पिता-बलदेव पंडित, उछली, बिरौल	पंचू पंडित	सड़क		
3	178	16	रैयती	भीठ-2	0.225	पंचू पंडित वो लखन पंडित वो खोखाई पंडित, पिता-बेअदी पंडित बारह अंश समान वो हरि नारायण पंडित, पिता-गुलाई पंडित एक अंश वो अगनू पंडित, पति-रब्बी पंडित एक अंश वो दामोदर पंडित, पिता-मोहर पंडित एक अंश वो लालन पंडित, पिता-मंगल पंडित एक अंश	आनन्दी साह	सड़क		
4	450	14	अनावाद सर्व साधारण	भीठ-2	0.01	अनावाद सर्व साधारण	आनन्दी साह	नीज		
<b>कुल -</b>					<b>0.555</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

  
समाहर्ता, दरभंगा  
-सह-  
समुचित सरकार

ज्ञापांक 914/भू-अ0, दिनांक 31/10/16

- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- अंचला अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्ता, दरभंगा के वेबसाइट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय परियोजना अभियंता, बि0रा0पु0नि0लि0, कैम्प बलुआहाघाट, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू-अर्जन के वेबसाइट पर अपलोड कराने एवं स्थानीय भाषा में दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

  
31/10/16  
समाहर्ता, दरभंगा  
-सह-  
समुचित सरकार